संख्या-02/2017/5703/26-3-2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 03 जनवरी, 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत श्री हाजी इकराम कुरैशी, सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के मानदेय का भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1965/स0क0/लेखा-बजट/रा0आ0प0वि/2016-17, दिनांक-23.11.2016 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-4,80,000/- (रूपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय-07-मानदेय के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1683/दस-2016, दिनांक-27 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-02/2017/5703(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग--3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

5-बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7-श्री हाजी इकराम कुरैशी, सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80– समाज कल्याण विभाग (आयोजनेत्तर)

वित्तीय वर्ष 2016–17

(रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में (आयोजनेत्तर)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में (आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–मुख्यालय अधिष्ठान 00–						2225–अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–मुख्यालय अधिष्ठान 00–					
01–वेतन	438.94	4.80	4.80	4.80	434.14	07–मानदेय	0.20	5.00	4.80	4.80	5.00
योग	**438.94**	**4.80**	**4.80**	**4.80**	**434.14**		**0.20**	**5.00**	**4.80**	**4.80**	**5.00**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

क– आवश्यकता के अनुसार बचत है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

क मानक मद में राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता के सापेक्ष प्राविधान/धनराशि कम पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुयल के प्रस्तर–150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–आर0ई0–286/ई–3–1683/दस–2016 दिनांक–27 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राम सुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

पृ0संख्या– 02/2017/5703/(1)/26–3–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8– श्री हाजी इकराम कुरैशी, सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।